न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

बः इजलास–पवन कुमार, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या–74/2020

इमीचन्द पुत्र प्रहलादराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी कूपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

––वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–– प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांकः–10.03.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 15 ए एस का मुरब्बा नं.–226/465 की 1ता19,22,23,24 के 22 बीघा चूनाराम, खींयाराम, रजीराम वल्द गंगूराम के नाम से दर्ज थी व इसके साथ साथ इनकी बहन नानूपारी पुत्री गंगूराम के नाम से दर्ज थी मूल खातेदारान के द्वारा उक्त कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 08.09.1982 व23.11.1983 का वादी व बृजलाल के पक्ष में निष्पादित किये। उक्त पंजीकृत बैयनामा मे बैचानकर्ता यानि चूनाराम आदि द्वारा यह दर्ज करवाया कि बैयनामा में वर्णित भूमि के तमाम हक वा हकूक खरीददार को होंगे। चूनाराम बगैरा का कोई भी सरोकार उक्त जमीन में नही रहेगा यानि चूनाराम आदि अपनी उक्त 22 बीघा कृषि भूमि समस्त को पंजीकृत दस्तावेज से बैचान कर दी। समस्त पंजीकृत बैयनामा की चित्र प्रतियां वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त बैयनामा करवाये जाने के पश्चात किला नं.–1,2,9,12,13,18,19,22 व 23 की आंशिक कृषि भूमि जिसका रिकॉर्ड इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, सड़क में आ गई। सड़क मे आने के पश्चात वाद के द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष सड़क तबादला लिए जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी रिपोर्ट द्वारा भी चक 15 एएस के किला नं.–1का 2 बिस्वा, 2का 11 विस्वा, 9 का 15 बिस्वा,12 का 17 बिस्वा, 13का 1 बिस्वा,18 का 4 बिस्वा, 19 का 14 बिस्वा,22 का 12 बिस्वा व 23 का 7 बिस्वा कुल 4 बीघा 11 बिस्वा रकबा सड़क में अवाप्त होने के कारण इसकी ऐवज मे चक 5 के ए एम का मुरब्बा नं.–120/48 के किला नं.–21ता25 को दिनांक 11.04.1984 को आवंटित कर दी गई। आवंटन आदेश पटवारी रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र की चित्र प्रति संलग्न है। यहॉ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि आवंटित कृषि भूमि चक 5 के ए एम का मुरब्बा नं.–120/48 के किला नं.–21ता25 का पश्चातवर्ती चकबंदी व मुरब्बा बंदी मे तब्दील करते हुऐ चक 6 के ए एम का पत्थर सं–140/48 मुरब्बा नं.–45 मे मर्ज कर दी गई। चक 5 के ए एम के मुरब्बा नं.–120/48 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2022 से 2041 मे उक्त किला नम्बर 21 ता25 में वादी के नाम से दर्ज की गई। यहां यह व्यक्त करना उचित होगा कि वादी के पक्ष में हुये बैयनामा के आधार पर इंतकाल नही चढ़ सके क्योंकि उक्त बैयनामा को चूना आदि द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) रायसिंहनगर में चुनौती दे दी ग[illegible] मात्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) रायसिंहनगर द्वारा निरस्त फरमा दि[illegible] अनुसार उसकी अपील पेश हुई। उपरोक्त अपील भी माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ [illegible] हाजरी व अदम पैरवी मे निरस्त फरमा दी गई। न्यायालयों में हुये नि[illegible] साथ है। सड़क में अवा[illegible] भूमि बैयनामा समस्त के वादी के पक्ष मे हुये मात्र किला नम्बर 13 [illegible] 1 बिस्वा का बैयनामा [illegible] चाचा बृजलाल के पक्ष मे हुआ। सड़क मे अवाप्त उक्त समस्त भूमि की ऐवज में मिले तबादला की कृषि भूमि का समस्त जमाबंदी के अंकन वादी एव बृजलाल के अलावा चूना खीयां, रजीराम के पक्ष मे हुआ जिसे शुद्धि करवाये जाने के लिए यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है क्योंकि चूना, खींया एवं रजीराम के समस्त हक अधिकार वादी व बृजलाल मे निहित हो चुके थे तबादला मे मिली 5 बीघा का आवेदन पत्र भी वादी द्वारा पेश किया गया था एवं आवंटन भी वादी व बृजलाल को हुआ था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.26 13:25:32 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी में चढाते वक्त व आगे से आगे चतुर्थ वर्षीय जमाबंदी में भी चूना, खींया व रजीराम का नाम दर्ज हो गया मौका पर कब्जा वादी का है व समस्त रिकॉर्ड वादी के पक्ष में निहित है ऐसी स्थिति में वादी चक 6 के ए एम का पत्थर सं.–140/48 मुरब्बा नं.–45 के किला नम्बर 21ता25 की 4 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि के संबंध में अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का विधिक अधिकारी है। वादी को उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर वादी ने दिनांक 06.07.2020 श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शुद्धिकरण करने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा यानि तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई तत्पश्चात तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा भी खातेदारी अधिकार वादी को मिले जाने बाबत् रिपोर्ट दर्ज की परन्तु यह कहा गया कि इस संबंध में सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बस यही बिनाय मुखासमत वाद पत्र है

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण के संबध चक 15 एएसबी का प.नं.–226/465 की 1ता19 व 22ता24 के 22 बीघा भूमि चुनाराम खींयाराम रजीराम कूनी नानू पारी पि. गंगू के नाम दर्ज रिकॉर्ड की उक्त भूमि का बैचान निम्नानुसार हुआ–

1. दिनांक–08.091982 को मुख्तयारआम बीरबल पुत्र भारूराम द्वारा किला नं.–3ता8 की 6 बीघा भूमि का बैयनामा इमीचन्द पुत्र प्रहलाद साकिन कूपली के पक्ष में किया गया।
2. दिनांक 23.11.1983 का मुख्त्यारआम बीरबल पुत्र भारूराम द्वारा किला नं.–12,18,19,22,23 एवं 13 वे में 1 बिस्वा कुल 5 बीघा भूमि का बैयनामा इमीचन्द पुत्र प्रहलाद जाति जाट के पक्ष में किया गया ।
3. दिनांक 23.11.1983 को मुख्त्यारआम बीरबल पुत्र भारूराम द्वारा किला नं.–1,2,9,10,11 कुल 5 बीघा भूमि का बैयनामा इमीचन्द पुत्र प्रहलाद के पक्ष में किया गया ।
4. दिनांक–23.11.1983 को मुख्त्यारआम बीरबल पुत्र भारूराम द्वारा किला नं.–14,15,16,17 एवं 13 का 19 बीस्वा कुल 4 बीघा 19 बीस्वा(किन्तु बैयनामा में 5 बीघा 19 बीस्वा) का बैयनामा बृजलाल पुत्र जीवनराम जाति जाट के पक्ष में किया गया।

उक्त बैयनामों के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश(वरिष्ठ खण्ड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रायसिहनगर) अपील संख्या–388/94(8/84), 427/94 (19/84), 115/93(17/84) दायर की गई जिसके फैसले वादीगण चुना आदि के विरूद्ध एवं दावा खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ में दर्ज हुई जो अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज हुई। किन्तु वाद के चलते उक्त बैयनामों का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका इसी दौरान चक 15 एएसबी तहसील विजयनगर के प. नं.–226/465 के किला नं.–1/2 बीस्वा कि.नं.–2/11 बीस्वा कि.नं.–9/18 बिस्वा किला नं.–12/17 बीस्वा किला नं.–13/1 बीस्वा, किला नं.–14/4 बीस्वा किला नं.–19/14 बीस्वा किला नं.–22/12 बीस्वा किला नं.–23/7 बीस्वा कुल 4 बीघा 6 बीस्वा भूमि सड़क में अवाप्त हो गई(किन्तु उपनिवेदशन तहसीलदार सूरतगढ 3 के पत्रांक 896/09.04.1984 में उक्त भूमि 4 बीघा 11 बीस्वा अंकित है) जिसके विनिमय स्वरूप चक 5 केएएम तहसील अनूपगढ के प.नं.–120/48 के किला नं.–21ता25 कमाण्ड रकबा प्रार्थीयों को दिया गया।

इस समय तक यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चुनी आदि के नाम ही अंकित थी। पश्चातवर्ती चकबंदी/मुरब्बा बंदी चक 5 केएएम का प.नं.–120/48 के किला नं.–21ता25 को चक 6केएएम प. नं.–140/48 किला नं.–21ता25 में मर्ज कर दिया गया था। [illegible] संवत 2041–44 के अनुसार 6 केएएम प.नं.–140/48 मु.नं.–45 किला नम्बर 21 ता 25 में [illegible] खातेदार का नाम कॉलम में बृजलाल पुत्र जीवन राम साकिन कूपली हिस्सा [illegible] प्रहलाद जाति जाट चुना खिंयाराम, रजीराम पिसरान गंगु 1/2 हिस्सा पारी नानु, कन्नु पु[illegible] गंगु 1/2 हिस्सा आरसीपी सड़क की एवज में हक खातेदारी आदेश 5095/15.05.1984 आदेश 1731/13.06.1986 से कब्जा लिया। 9.07.1984 बृजलाल वगैरह किला नम्बर 21 अंकन अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.26 13:25:32 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 20.06.2002 को पूर्व में वर्णित बैयनामा के अनुसार 4.402 हैक्टर यानी 17 बीघा 8 बिस्वा भूमि का नामान्तरण इमीचन्द पुत्र प्रहलाद एवं बृजलाल पुत्र जीवन राम के पक्ष में चक 15 ए

एस बी तहसील विजयनगर मुताबिक बैयनामा एवं न्यायलय निर्णय अनुसार हुआ। (इसमें सडक में अवाप्त 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि को कम कर दिया गया)

वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–79 में चक 6 केएएम पटवार हल्का 4 केएएम खाल के पत्थर 140/48 के मुरब्बा 45 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/1, 25/2 कुल 0.985 हैक्टर है। भूमि इमीचन्द पुत्र प्रहलाद चुना खींया, रजीराम पिसरान गंगु व बृजलाल पुत्र जीवन राम प्रत्येक 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है उक्त विवरण की रोशनी में स्पष्ट है कि जिस समय सड़क में भूमि अवाप्त हुई थी उस समय भूमि का बैयनामा इमीचन्द पुत्र प्रहलाद एवं बृजलाल पुत्र जीवन राम जाति जाट साकिन कुंपली के पक्ष में हो चुका था अतः उक्त भूमि के विनिमय स्वरूप चक 5 केएएम (मुरब्बा बंदी के परिवर्तित चक 6 केएएम मु0न0 45 किला नम्बर 21 ता 25) पर खातेदारी अधिकार इमीचंद एवं बृजलाल को मिलने चाहिए थे जो तथ्यों के अभाव एवं न्याय निर्णय के ज्ञान नहीं होने के कारण चुना आदि के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहे है।

उक्त पांच बीघा भूमि में से एक बिस्वा भूमि बृजलाल पुत्र जीवनराम एवं शेष भूमि इमीचंद पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन कुंपली के पक्ष में दर्ज हो एवं चुना आदि का नाम कलमजन किया जाना उचित बताया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व तहसीलदार रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में जमाबंदी संवत् 2076–79 में चक 6 केएएम पटवार हल्का 4 केएएम खाल के पत्थर 140/48 के मुरब्बा 45 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/1, 25/2 कुल 0.985 हैक्टर है। भूमि इमीचन्द पुत्र प्रहलाद चुना खींया, रजीराम पिसरान गंगु व बृजलाल पुत्र जीवन राम प्रत्येक 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है उक्त विवरण की रोशनी में स्पष्ट है कि जिस समय सड़क में भूमि अवाप्त हुई थी उस समय भूमि का बैयनामा इमीचन्द पुत्र प्रहलाद एवं बृजलाल पुत्र जीवन राम जाति जाट साकिन कुंपली के पक्ष में हो चुका था अतः उक्त भूमि के विनिमय स्वरूप चक 5 केएएम (मुरब्बा बंदी के परिवर्तित चक 6 केएएम मु0न0 45 किला नम्बर 21 ता 25) पर खातेदारी अधिकार इमीचंद एवं बृजलाल को मिलने चाहिए थे। वादी इमीचंद के नाम से उक्त कृषि भूमि में से एक बिस्वा भूमि बृजलाल पुत्र जीवनराम एवं शेष भूमि इमीचंद पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन कूपंली के पक्ष मे दर्ज करना एवं चुना आदि का नाम कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 6 के ए एम पटवार हल्का चक 4 के ए एम का पत्थर सं.–140/48 मुरब्बा नं. –45 किला नं.–21ता25 को अमीचंद, खिंया, चूना, बृजलाल, रजीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज 0.985 हैक्टेयर भूमि में से 0.0126 हैक्टर भूमि बृजलाल पुत्र जीवणराम एवं शेष भूमि वादी को खातेदार कृषक घोषित करते हुए इमीचंद(वादी) के नाम से दर्ज ... खिंया, चूना, रजीराम के नाम से कलमजन करने के आदेश प्रतिवादी ... तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर ... अलग से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.26 13:25:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़